कार्यालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

विभागीय अपील क्रमांक/वि.अ./178/2025/

निर्णय अपील

उपस्थितः— श्री जितेन्द्र सोनी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी

दिनांकः— 11.11.2025

यह अपील राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत विभागीय अपील, द्वारा अपीलांट श्री जितेन्द्र सोनी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी, जिला डीडवाना–कुचामन विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन के आदेश क्रमांक जांच/2025/Rajkaj Ref. दिनांक 26.02.2025, जिसमें अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप प्रमाणित होने के परिणाम स्वरूप एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए एक ज्ञापन क्रमांक जांच/2024/Rajkaj Ref. No. 13357965 दिनांक 03.02.2025 जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थी को निम्न आरोपों से आरोपित किया गयाः—

आरोप संख्या–1

यह है कि आप श्री जितेन्द्र सोनी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी में कार्यरत है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक संस्था/2025/Rajkaj Ref. 13337467 दिनांक 31.01.2025 द्वारा इस कार्यालय के आदेश दिनांक 27.01.2025 को आवंटित कार्य के साथ चुनाव शाखा से संबंधित समस्त कार्यों के लिये चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया।

दिनांक 03.02.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रातः 10.00 बजे चुनाव शाखा का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण चुनाव अनुभाग भवन में साफ सफाई करवाई गयी जाकर आप द्वारा बैठक व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई और अनुभाग से संबंधित पत्रावलियां व फाईल्स नहीं पाई गयी एवं कार्यालय निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं रहें। इस आरोप से आपको आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या –2

यह है कि श्री जितेन्द्र सोनी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी में कार्यरत है। आज दिनांक 03.02.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा चुनाव शाखा के निरीक्षण उपरांत उपस्थिति पंजिका कार्यालय हाजा का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उपस्थिति पंजिका में आपकी उपस्थिति नहीं पाई गयी और ना ही आपने इसके संदर्भ में लिखित अथवा मौखिक में सूचना दी गयी। इस आरोप से आपका आरोपित किया जाता है।

अपीलार्थी/आरोपित को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपों का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा **लिखित अभिकथन** प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए, राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के दण्डादेश दिनांक 26.02.2025 से व्यथित होकर, अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर, दण्डादेश को चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर अपचारी कर्मचारी श्री जितेन्द्र सोनी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी से संबंधित अभिलेख व टिप्पणी प्राप्त की गई।

अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया। अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान निवेदन किया, कि अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय को प्रस्तुत आरोप पत्र के संबंध में प्रस्तुत जवाब पर कोई विचार नहीं किया जाकर दण्डादेश पारित कर दिया गया है। अपीलार्थी को दण्ड दिये जाने का कार्य आपातकालीन स्थिति की तरह लिया गया है, अर्थात् प्रार्थी को ज्ञापन तो ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत जारी किया गया है परंतु आनन फानन में ऑफलाईन नोटशीट लिखी गयी है, जो राजकीय आदेश की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी में आता है एवं व्यक्तिगत दुर्भावना को परिलक्षित करता है। दण्डादेश से संबंधित पत्रावली एक ही दिन में संधारित की गई है। कार्यालय पद्धति अनुसार नोटशीट पर भी दण्डादेश का संक्षिप्त उल्लेख किया जाना होता है, परंतु नोटशीट पर कोई आदेश नहीं दिया जाकर सीधे ही दण्डादेश टंकित करवाकर जारी किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध ज्ञापन जारी करने से पूर्व अनियमितता संबंधी किसी प्रकार का कोई कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया गया अथवा इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं लिया गया, सीधे ही विभागीय जांच संबंधी प्रक्रिया नहीं अपनाकर नियम 17 के तहत चार्जशीट जारी कर दी गई। अत्यंत ही सोचनीय विषय है कि क्या दण्डादेश पारित किया जाना इतना आवश्यक था कि इसे राजकीय अवकाश (महाशिवरात्रि) दिनांक 26.02.2025 को जारी किया गया? इससे स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी द्वारा व्यक्तिगत दुर्भावना के वशीभूत यह आदेश पारित किया है। इस परिपाटी से अधीनस्थ कार्मिकों में कार्य के प्रति अरूचि होना स्वाभाविक है।

अपीलार्थी ने आरोप संख्या 01 के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अवगत कराया कि उन्हें कार्यालय आदेश दिनांक 27.01.2025 एवं 31.01.2025 में आवंटित कार्य के संबंध में लापरवाही बरतने का आरोपी माना है। अपीलार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया कि उक्त कार्यालय आदेश की पालना नहीं करने संबंधी ज्ञापन एवं आरोप पत्र दिनांक 03.02.2025 को प्रातः 11.00 बजे जारी किया गया, जबकि उक्त आदेश उन्हें 2 दिन पश्चात अर्थात् दिनांक 05.02.2025 को प्राप्त हुआ था। ऐसी स्थिति में आदेश प्राप्त होने के 2 दिवस पूर्व ही पालना नहीं करने

का आरोप अपने आप में हास्यास्पद है। यहां पर उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी द्वारा यह मानना कि अपीलार्थी दिनांक 03.02.2025 को कार्यालय में उपस्थित था, अतः उन्हें आदेश की जानकारी हो जानी चाहिये थी, इस आधार पर ही आरोप विरचित कर दिया। इससे स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी द्वारा द्वेषभावना से ग्रसित होकर आधारहीन तथ्यों पर आरोपित किया है।

आरोप संख्या 2 के संदर्भ में अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलार्थी को शादी समारोह में जाना था। दिनांक 03.02.2025 को प्रातः कार्यालय आते समय गाडी को सर्विस कराने हेतु दे रखी थी। मैकेनिक द्वारा गाडी सर्विस कार्य में विलम्ब करने के कारण कार्यालय में लगभग 11.00 बजे उपस्थित हो गया था तथा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष आधे दिवस का अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ही मध्याह्न पश्चात प्रस्थान किया था। जिसका अंकन कार्यालय की उपस्थिति पंजिका में दर्ज है। इसके उपरांत भी उपखण्ड अधिकारी महोदय ने कार्यालय में अनुपस्थित रहने का आरोप लगा दिया। उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी के दण्डादेश दिनांक 26.02.20025 को निरस्त करने का निवेदन किया।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, प्रतिरक्षण एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किये गये कथन पर विचार किया तथा उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी द्वारा प्रेषित टिप्पणी, मूल रेकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कर्मचारी को जारी आरोप पत्र एवं अपचारी कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किये गये आरोपों के प्रत्युत्तर तथा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन व मनन किया गया।

आरोपी कार्मिक का कथन है कि आरोप पत्र व ज्ञापन दिनांक 03.02.2025 में, जिस आदेश की पालना नहीं करने का आरोप लगाया गया है, वह कार्यालय आदेश ही अपीलार्थी को ज्ञापन दिये जाने अर्थात् दिनांक 03.02.2025 से दो दिवस पश्चात् प्राप्त हुआ है। इस कथन की पुष्टि में अपीलार्थी ने कार्यालय आदेश प्राप्ति का वह दस्तावेज भी प्रस्तुत किया है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 05.02.2025 को प्राप्त किया है। यहां पर उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी ने अपने आदेश दिनांक 26.02.2025 में अंकित किया है कि अपीलार्थी को दिनांक 03.02.2025 को ज्ञापन मय आरोप पत्र दिये जाने के पश्चात् उस कार्यालय आदेश को अपने स्वयं के प्रयासों से प्राप्त करना चाहिये था, जिसकी अवहेलना के लिये उसे आरोपित किया गया है। इसी विचार के आधार पर आरोप पत्र जारी कर दिया गया, जो उचित नहीं है। यहां पर हम अपीलार्थी की इस मनोस्थिति/कथन से सहमत है कि इस तरह के व्यवहार से अधीनस्थों पर कार्य के प्रति प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

आरोप संख्या 02 भी कार्यालय में 11.00 बजे आने से संबंधित है। मेरे विचार से यह इतना गम्भीर अपराध नहीं है, जिसके लिये कार्मिक को वेतनवृद्धि रोकने जेसे दण्ड से दण्डित किया जावें। कार्यालय में विलम्ब से आने के संबंध में यह व्यवस्था है कि अनुपस्थिति पंजिका में क्रॉस लगा दिया जाता है, तीन क्रॉस

हो जाने के पश्चात् ही यथोचित कार्यवाही का प्रावधान है। पत्रावली के अवलोकन से यह नहीं पाया गया है कि अपीलार्थी अधिकाशतः विलम्ब से आता है। उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी द्वारा अपने आदेश में कही भी यह अंकित नहीं किया है, कि उपस्थिति पंजिका में पूर्व में भी क्रॉस लगे हुए है अथवा आदतन विलम्ब से आने के लिये उसे पूर्व में कभी कोई चेतावनी दी गई हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को दिनांक 03.02.2025 को आकस्मिक कारण से कार्यालय आने में विलम्ब हुआ है। किसी भी कार्मिक अथवा अधिकारी के लिये ऐसा विलम्ब हो जाना स्वाभाविक है। इस प्रकार इस उक्त प्रकार के विलम्ब के लिये वेतनवृद्धि रोकना किसी भी दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी श्री जितेन्द्र सोनी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन द्वारा पारित दण्डादेश क्रमांक जांच / 2025 / Rajkaj Ref. दिनांक 26.02.2025 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णयादेश की प्रति संबंधित अपीलार्थी को प्रेषित की जावें।

(शक्ति सिंह राठौड़)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर